reviews and too many revisions but they have meant nothing.

Sir, I want to submit through you to the Home Minister and this Govenremnt, since TADA has been scrapped once and for all lock, stock and bartrel, why dont they completely release those people and try them only under the law of the land? Try these people who are languishing in jail for no rhyme or reasons, many of them for no fault of theirs, especially people from the minoiroties. That is my submission, sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AJIT P.K. JOGI): The House has devoted enough time to this. Now Shri Manohar Kant Dhyani.

RE : SITUATION IN GARHWAL AND KUMAON DIVISIONS OF U.P. FOLLOWING COURT ORDER WITH REGARD TO FORESTS ACT, 1980

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के वन-विशाल क्षेत्र हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। उस क्षेत्र में वन कानून, 1980 के प्रारम्भ होने के कारण जीन-जीवन एक प्रकार से थम गया है , रूक गया है। मान्यवर, वन कानून 1980 के संदर्भ में केन्द्र सरकार से जहां अनेक राज्यो ने राहत और रियायत प्राप्त की है, चाहे वह राजस्थान हो, अरूणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो और चाहे अडंमान निकोबार जैसा छोटा सा द्वीप समूह हो, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार छूट प्राप्त हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश, एक विशाल राज्य होने के कारण और वहां के पर्वतीय क्षेत्र का उस राज्य में विचार नहीं होने से वहां जीवन कठिन हो गया है और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उससे स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 200 मीटर से ऊपर कोई वृक्ष काटा नहीं जाएगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वहां का समाज वन और खनन दोनों पर निर्भर रहता है जब आदमी को अपना मकान बनाना पडता है तो उसके लिए उसे छोटी-मोटी लकड़ी की जरूरत होती है, उसी प्रकार खनन से पत्थर प्राप्त होता है, लेकिन आज की स्थिति में ये दोनों दुर्लभ हो गई है। यही नहीं, वहां पर यदि छोटा-मोटा मार्ग बनता है। छोटा-मोटा चिकित्सालय बनता है या छोटा-मोटा सरकारी उपक्रम खोला जाता है तो उसके लिए जमीन की आवश्यकता होती है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वन कानून, 1980 और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में विचार करते हुए और वहां के लोगों के हितों का विचार करते हुए केन्द्रीय सरकार इसमें संशोधन करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के दूर-दराज क्षेत्रों में इससे गलत संदेश जाएगा और लोगों के मन में देश की इन संस्थाओं के प्रति अनास्था का भाव पैदा होगा, जिससे देश की राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा होगा। मैं पुनः जोर देकर कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि यह जो पर्यावरण का इशू है, इस को राष्ट्रीय हित के साथ जोड़ा जाए और इस पर विचार किया जाए औ जो हमारा वन कानून 1980 हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए, इसमें तत्काल संशोधरन किए जाएं, इतना ही मुझे कहना है।

RE : SCREENING OF CONTRO-VERSIAL FILS 'RAM KE NAAM' ON DOORDARSHAN

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Sir, I rise to draw the attention of this august House to a certain film shown on Doordarshn eight days back. This film was called 'Ram ke Naam'. A more appropriate title for it would have been 'Ravana Ke Namm'. *...(Interruptions)... A* more appropriate name for it would have been 'Ravana ke Naam'. It is full of fun; it is a cocktail of fact, fiction, simple fabrication. It defames some of the topmost leaders of India; it defames even Rama and Krishna and describes them as Girl Guides. But, this film is a horrible film. Bordering a criminal, it has a hero. The hero is known as one Mr. Lai Das. Lai Das was the *pujari* of Ramjanambhoomi mandir. When he had arrived from Bihar, he was known to be a very poor man. Then, people found that the offering were being misused, masappropriated. After some time, people found that this genctlcman had bought a hundred *bighas* of land in his village and that he also had bought a tractor. In this situation...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA